भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2342

15 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

प्रायोगिक परियोजना

2342. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित और निर्यात किए जाने वाले इस्पात हेतु मेड इन इंडिया ब्रांडिंग के रूप में एक प्रायोगिक परियोजना का विचार कर रही है;

(ख) उक्त प्रायोगिक परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी विशेषता क्या है;

(ग) उक्त प्रायोगिक परियोजना से इस्पात मिल मालिकों और आम लोगों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त प्रायोगिक परियोजना का उत्तर-पूर्व के इस्पात विनिर्माताओं पर प्रभाव पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख): जी हाँ। इस्पात उत्पादों की मेड इन इंडिया ब्रांडिंग के तहत उत्पाद के विवरण के साथ स्वदेशी इस्पात उत्पादों का लेबल लगाए जाने और क्यू आर कोड के साथ मेड इन इंडिया लेबल लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। मेड इन इंडिया लेबल स्वदेशी इस्पात उत्पादों तथा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों, दोनों पर लगाया जाएगा। दो एकीकृत इस्पात उत्पादकों ने एक प्रायोगिक उत्पादन के लिए इस्पात उत्पादों की मेड इन इंडिया ब्रांडिंग का चयन किया है।

(ग) और (घ): मेड इन इंडिया ब्रांडिंग से ऐसे इस्पात विनिर्माताओं को लाभ होगा जो इस प्रकार की ब्रांडिग को चुनते हैं। इस्पात उत्पादों की मेड इन ब्रांडिंग से सामान्य व्यक्ति क्यू आर कोड का प्रयोग करके उत्पाद के विवरण को देख सकेंगे और इस प्रकार इससे 'मेड इन इंडिया' इस्पात उत्पादों में उनका भरोसा बढ़ेगा और वे इन पर गर्व करेंगे। इस्पात मिलों के मालिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी इकाइयों को ब्रांड इंडिया के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं और स्वदेशी रूप से विनिर्मित इस्पात उत्पादों को वरीयता देने वाले ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। इससे उत्पादों के गुणवत्ता संबंधी मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित करने में भी सुविधा मिलेगी।

*****